भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 516

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 नवंबर, 2016/27 कार्तिक, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>निवेशकों की शिकायतों का निवारण</u>

516. श्री बी.वी. नाईकः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु कंपनियों के स्वतंत्र तंत्र से वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निवेशकों की शिकायतों का समाधान न करने वाली कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रवृत्त की गई है; और

(घ) क्या छोटे निवेशकों को भुगतान न करने वाली अनेक कंपनियां अभी भी शेयर बाजार में सक्रिय रूप से ट्रेडिंग कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख), (ग): कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा रखे गए निवेशक शिकायत डाटा के अनुसार वर्ष 2013-14 में 420 कंपनियों, वर्ष 2014-15 में 2414 कंपनियों और वर्ष 2015-16 में 89 कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.10.2016 के दौरान 120 कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई आरंभ हो गई है।

(घ): आर्थिक कार्य विभाग ने उल्लेख किया है कि सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा बकायों का निवेशकों को भुगतान न करने के कारण किसी निवेशक द्वारा की गई शिकायत की प्राप्ति पर तत्काल स्क्रिप व्यापार को बंद नहीं किया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान 5005 प्राप्त शिकायतों में से 4184 का समाधान किया गया है, वर्ष 2014-15 में प्राप्त 3886 शिकायतों में से 3364 का समाधान हुआ है, वर्ष 2016-17 में प्राप्त 3296 शिकायतों में से 2838 का

समाधान हुआ है और वर्ष 2016-17 (31 अक्तूबर, 2016 तक) प्राप्त 1907 शिकायतों में से 1522 का समाधान किया गया है।

*****